



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274481
CG-DL-E-14072026-274481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3680]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3680]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3842(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 203.3 किमी से 205.6 किमी के NH3 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH3 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	एसी टो डीसी विलासपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH3	हिमाचल प्रदेश	मंडी	मंडी	1 डी.पी.एफ बहली धार (310)

		के कि.मी 203.3 से कि.मी 205.6 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 11012/2/2014/LA/PIU/SML]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3842(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 203.3 to Km. 205.6 of the NH3 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HIMACHAL PRADESH

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH3 in the State of HIMACHAL PRADESH.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	AC to DC Bilaspur	NH3 KM 203.3 TO KM 205.6	HIMACHAL PRADESH	MANDI	Mandi	1 D.P.F.Bahli Dhar (310)

[F. No. 11012/2/2014/LA/PIU/SML]

SHAIKH AMINKHAN, Director